संख्या- 2/2018 / जी-2- 24 /दस-2018-01(वे0सं0)/2017

प्रेषक,

एम0पी0 अग्रवाल,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 31 जनवरी, 2018

विषय:- **पदोन्नति पर मूल नियम-22-बी के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के लिये तिथि का विकल्प।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में शासनादेश संख्या-8/2017/जी-2-75/दस-2017-01 (वे0सं0)/2017 दिनांक 07 जून, 2017 द्वारा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर दिनांक 01-01-2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में सरकारी सेवक की प्रोन्नति अथवा ए0सी0पी0 के व्यवस्थानुसार वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने पर सम्बन्धित सरकारी सेवक को मूल नियम-23(1) के अन्तर्गत प्रोन्नति की तिथि अथवा अगली वेतनवृद्धि की तिथि को मूल नियम-22(बी)(1) के अनुसार वेतन निर्धारण कराने का विकल्प यथावत उपलब्ध रहने संबंधी निर्देश निर्गत किए गए हैं एवं शासनादेश संख्या-10/2017/जी-2-190/दस-2017-01(वे0सं0)/2017, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 07 जून, 2017 के क्रम में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया को उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है।

2- उक्त के संबंध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेशों द्वारा निर्धारित वेतन निर्धारण की प्रक्रिया व आगामी वेतनवृद्धि की तिथि के विनियमन की व्यवस्था को निम्नवत स्पष्ट करते हुए आंशिक रूप से संशोधित किया जाता है जिसके फलस्वरूप शासनादेश दिनांक 07 जून, 2017 एवं दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 (उदाहरण सहित) इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे एवं किए जा रहे प्राविधानों से संदर्भगत शासनादेशों के प्राविधान व उदाहरण जिस सीमा तक भिन्न हैं, उस सीमा तक निष्प्रभावी माने जायेंगे :-

(क)-- उपरोक्त शासनादेश दिनांक 07-06-2017 एवं दिनांक 10-10-2017 में उल्लिखित मूल नियम 22(बी)(1) का आशय वस्तुतः मूल नियम 22-बी(1) से है और शासनादेश के निर्वचन में इसी नियम का संदर्भ लिया जाय। इसके अतिरिक्त दिनांक 01-01-2016 से लागू किए गए पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन की दशा में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया वही मानी जायेगी जैसा कि वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-9 में निर्धारित है।

(ख)-- ऐसे सरकारी सेवक जिन्हें 02 जनवरी और 01 जुलाई के बीच (दोनों दिवसों सहित) प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त हुआ है और उनके द्वारा मूल नियम 22-बी(1) के अंतर्गत दिनांक 02 जनवरी और 01 जुलाई के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन की तिथि को ही वेतन निर्धारण का विकल्प दिया गया हो और तदनुसार उनका वेतन निर्धारण किया जाय तो उन्हें आगामी 01 जनवरी को वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब उनके द्वारा दिनांक 01 जुलाई को कोई वेतनवृद्धि आहरित न की गयी हो। किन्तु यदि उक्त सरकारी सेवक द्वारा 01 जुलाई को अपनी वेतनवृद्धि की तिथि को मूल नियम 22-बी(1) के अंतर्गत वेतन निर्धारित करने का विकल्प दिया जाय और उक्त नियम के अनुसार वेतन निर्धारित किया जाय तो इस स्थिति में अगली वेतनवृद्धि एक वर्ष बाद ही देय होगी क्योंकि ऐसी स्थिति में संबंधित सरकारी सेवक को दिनांक 01 जुलाई को पहले अपने पूर्व पद के वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स में लेवल) में सामान्य वेतनवृद्धि अनुमन्य होगी और तत्पश्चात मूल नियम 22-बी(1) के अंतर्गत वेतन निर्धारित होगा।

इसी प्रकार ऐसे सरकारी सेवक जिन्हें 02 जुलाई और 01 जनवरी के बीच (दोनों दिवसों सहित) प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त हुआ है और उनके द्वारा मूल नियम 22-बी(1) के अंतर्गत दिनांक 02 जुलाई और 01 जनवरी के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन की तिथि को ही वेतन निर्धारण का विकल्प दिया गया हो और तदनुसार उनका वेतन निर्धारण किया जाय तो उन्हें आगामी 01 जुलाई को वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब उनके द्वारा दिनांक 01 जनवरी को कोई वेतनवृद्धि आहरित न की गयी हो। किन्तु यदि उक्त सरकारी सेवक द्वारा 01 जनवरी को अपनी वेतनवृद्धि की तिथि को मूल नियम 22-बी(1) के अंतर्गत वेतन निर्धारित करने का विकल्प दिया जाय और उक्त नियम के अनुसार वेतन निर्धारित किया जाय तो इस स्थिति में अगली

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वेतनवृद्धि एक वर्ष बाद ही देय होगी क्योंकि ऐसी स्थिति में संबंधित सरकारी सेवक को दिनांक 01 जनवरी को पहले अपने पूर्व पद के वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स में लेवल) में सामान्य वेतनवृद्धि अनुमन्य होगी और तत्पश्चात मूल नियम 22-बी(1) के अंतर्गत वेतन निर्धारित होगा।

3- उक्त के संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जिन प्रकरणों में उक्तवत प्रतिपादित व्यवस्था से भिन्न वेतन निर्धारण किया जा चुका हो उनमें त्वरित कार्यवाही करते हुए अधिक भुगतान की गयी धनराशि को संबंधित कार्मिक के आगामी भुगतानों में से समायोजित कर लिया जायेगा।

4. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-10/2017/जी-2-190/दस-2017-01(वे0सं0)/2017, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 के प्रस्तर-3 के अंतर्गत प्रदत्त विकल्प देने की सुविधा को इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से 01 माह के अन्दर पुनः दिया जा सकेगा अथवा पूर्व में दिए गए विकल्प को संशोधित किया जा सकेगा।

भवदीय,

एम0पी0 अग्रवाल

सचिव

संख्या- 2/2018 / जी-2- 24 (1) /दस-2018-01(वे0स0)/2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, (प्रथम/द्वितीय) ।

(2) प्रमुख सचिव विधान सभा/विधान परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

(3) राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश।

(4) सचिवालय के समस्त अनुभाग, उ0प्र0 शासन।

(5) निदेशक, प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

सरयू प्रसाद मिश्र

विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।